न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री जयसिंह चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 -78/2020(2020/00119)

अनवान : -

1. सुभाषचन्द्र पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. बुधराम पुत्र राजेराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
2. विनोदकुमार पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
3. इन्द्रावती पुत्री बुधराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
4. सुमन पुत्री बुधराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
5. सुनीता पुत्री बुधराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री विनोद पूनियां वादी
श्री धर्मपाल बेरवाल प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांकः 24/09/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 8 एमएसआर के वर्तमान खाता सं 106/97 के मु0न0 20 के किला न0 24/1, मु0 न0 27 के किला न0 2 ता 4, 7 ता 9, 12 ता 15 की कुल 2.656 हैक्टेयर नहरी 2.581 है0 खाला 0.075 है0 व चक करनपुरा बारानी के वर्तमान खाता संख्या 166/241 के खसरा नम्बर 418/2 की 1.001 हैक्टेयर बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 बुधराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा राजेराम की खातेदारी हुआ करती थी। राजेराम के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी बुधराम के नाम से दर्ज है वह वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन मिली थी। परन्तु प्रतिवादी बुधराम कर्ता खान दान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी बुधराम ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी बुधराम के नाम दर्ज होने से वादीगण के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 बुधराम को वादी के दादा राजेराम से विरासतन प्राप्त हुई है। जो जमाबन्दी चक 8 एमएसआर सम्वत 2072–75 खाता संख्या 106/97 व चक करणपुरा बारानी के सम्वत 2070–73 खाता संख्या 241/239 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्त से हक व हिस्सा है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 प्रत्येक का उक्त वाद भूमि में 1/6 हक व हिस्सा है।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्या 3 इन्द्रावती, प्रतिवादिया संख्या 4 सुमन व प्रतिवादिया संख्या 5 सुनीता वादी की बहिन है, जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के हक में हिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।

वादी अपने बंटवारा में मिली भूमि को समतल, उपजाऊ बनाकर सुधार करना चाहता है जिसके लिए उसे केसीसी ऋण आदि की आवश्कता रहती है इसलिए वादी पारिवारिक समझौता एवं बंटवारा अनुसार अर्जीदावा की मद संख्या 3 में दर्ज वादभूमि चक 8 एमएसआर के खाता संख्या 106/97 की कुल 2.656 हैक्टेयर व चक करणपुरा बारानी के खाता संख्या 166/241 की कुल 1.001 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 बुधराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिस्सा बराबर के खातेदार है इसी अनुसार वादी हक हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी सुभाषचन्द्र पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी करणपुरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबंदी चक 8 एमएसआर सम्वत 2072–75 खाता संख्या 106/97 प्रदर्श 1, जमाबंदी चक करणपुरा बारानी सम्वत 2074–77 खाता संख्या 166/241 प्रदर्श 2, चक करणपुरा बारानी सम्वत 2070–73 खाता संख्या 241/239 प्रदर्श 3, सरपंच ग्राम पंचायत करणपुरा का सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद, वादी ने रोही मौजा चक 8 एमएसआर के वर्तमान खाता सं 106/97 के मु0न0 20 के किला न0 24/1, मु0 न0 27 के किला न0 2 ता 4, 7 ता 9, 12 ता 15 की कुल 2.656 हैक्टेयर नहरी 2.581 है0 खाला 0.075 है0 व चक करनपुरा बारानी के वर्तमान खाता संख्या 166/241 के खसरा नम्बर 418/2 की 1.001 हैक्टेयर बारानी प्रतिवादी संख्या 1 बुधराम के नाम राजस्व रिकार्ड में

दर्ज है। जिससे वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है रोही मौजा चक 8 एमएसआर के वर्तमान खाता सं 106/97 के मु0न0 20 के किला न0 24/1, मु0 न0 27 के किला न0 2 ता 4, 7 ता 9, 12 ता 15 की कुल 2.656 हैक्टेयर नहरी 2.581 है0 खाला 0.075 है0 व चक करनपुरा बारानी के वर्तमान खाता संख्या 166/241 के खसरा नम्बर 418/2 की 1.001 हैक्टेयर बारानी मय खाला रास्ता खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी बुधराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें वादी सुभाषचन्द्र एवं प्रतिवादी सं 2 विनोद कुमार 1/2 हिस्सा बहिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 बुधराम 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी सं 2 को 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर एवं प्रतिवादी संख्या 1 बुधराम को 1/2 हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24/09/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राज.)

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 –78/2020(2020/00119)
अनवान : –

1. सुभाषचन्द्र पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. बुधराम पुत्र राजेराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
2. विनोदकुमार पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
3. इन्द्रावती पुत्री बुधराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
4. सुमन पुत्री बुधराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
5. सुनीता पुत्री बुधराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ जयसिंह चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विनोद पूनियां व वकील प्रतिवादी श्री धर्मपाल बेरवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 8 एमएसआर के वर्तमान खाता सं 106/97 के मु0न0 20 के किला न0 24/1, मु0 न0 27 के किला न0 2 ता 4, 7 ता 9, 12 ता 15 की कुल 2.656 हैक्टेयर नहरी 2.581 है0 खाला 0.075 है0 व चक करनपुरा बारानी के वर्तमान खाता संख्या 166/241 के खसरा नम्बर 418/2 की 1.001 हैक्टेयर बारानी मय खाला खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी बुधराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें वादी सुभाषचन्द्र एवं प्रतिवादी सं 2 विनोद कुमार 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर व प्रतिवादी संख्या 1 बुधराम 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के द्वारा त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(जयसिंह चौधरी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)